महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध कारण एवं निवारण

*नीतू कश्यप

महिलाओं का उत्पीड़न , अपमान , शोषण , दमन , तिरस्कार एंव यंत्रणा उतना ही प्राचीन है जितना कि पारिवारिक जीवन का इतिहास । यद्यपि सामाजिक विधान के परिप्रेक्ष्य मे भारतीय महिलायें अन्य कई देशों की महिलाओं से कही आगे है। किंतु महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया इतनी मंद अव्यवस्थित एवं असंगत रही है कि सामाजिक आर्थिक एंव राजनैतिक रूप से वे पुरूषों से काफी पीछे है न केवल काम मे उनके साथ भेदभाव किया जाता है। प्रत्येक अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जाता है। घर में तो उनकी स्थिति और खराब है । उनके साथ बदतर व्यवहार के अलावा विविध प्रकार के दुर्व्यवहार भी किये जाते है । उनका उपहास करना ,उनको प्रताड़ित करना , मारना पीटना तथा उन्हे जलाकर मार दिया जाता है । प्रत्येक स्थिति मे महिला शिकार रही है किंतु यह महत्वपूर्ण है कि न तो आपराधिक हिंसा संबंधी साहित्य मे और न ही सामाजिक समस्याओं की पुस्तकों मे अपराधों एंव हिंसा की शिकार महिलाओं के विषय मे कहा गया है कि पुरूष अपने को महिलाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते है जिसके कारण महिलाओं के प्रति की गई हिंसा को हीन की दृष्टि से नही देखा जाता है । महिलायें स्वंय अपने धार्मिक मूल्यों एवं सामाजिक दृष्टिकोण के कारण अपने प्रति की गई हिंसा से इंकार कर देती है महिलाओं के प्रति किये गये अपराधों को व्यक्तिगत वाद–बिंदु के बजाय जन–समस्या माना गया है।

महिलाओं के प्रति अपराध की अवधारणा

महिलायें किसी भी अपराध की शिकार हो सकती है । चाहे ठगी की , कत्ल की या डकैती आदि की । वह अपराध जिनकी केवल महिलायें ही शिकार होती है या जो केवल महिलाओ के प्रति ही होते है उन्हे "महिलाओं के प्रति अपराध "कहा जाता है महिलाओं के प्रति अपराधों को दो श्रेणियों मे बांटा जाता है ।(1) भारतीय दंण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध इसमे 6 प्रकार के अपराध सम्मिलित है–अ) बलात्कार ब) अपहरण एवं भगा कर ले जाना स) दहेज के कारण हत्या द) शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न अथवा पत्नी को पीटना फ) शारिरिक छेड़छाड़ और ज) चिढ़ाना 2) स्थानीय एवं विशेष विधानो के अंतर्गत अपराध इसमे चार प्रकार के अपराध सम्मिलित है ।

अ) अनैतिक अवैधपतन (1978अधिनियम) ब) दहेज मांगना (1961 अधिनियम) स) सती होने के लिये बाध्य करना (1987 अधिनियम) द) महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन (1986 अधिनियम)। महिलाओं के प्रति हिंसा वह व्यवहार हे जिसकी औपचारिक रूप से सामाजिक निंदा की जाती है या जो नियमाचारी समूहों के व्यवहार संबंधी मानदंण्डों से विचलन हो तब महिलाओं के प्रति कसिा के मामलों का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है हिंसा शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति को आहत करना तथा चोट पहुंचाना या शारीरिक रूप से घायल करना है या नुकसान या चोट पंहुचाने की दृष्टि से जानबूझकर किया गया आद्यात किंतु वास्तविक चोट न पहुंचाई हो ऐसे कार्य जिनसे शारिरिक आद्यात न पहुंचा हो किंतु उनसे मौखिक आद्यात या मानसिक तनाव तथा कष्ट होता हो।

इस प्रकार बलात्कार , अपहरण , दहेज मृत्यु , यौनाचार , विधवा (घरेलू हिंसा के सभी मामले) छेड़छाड़ पत्नी या बहू को भ्रुण हत्या के लिये बाध्य करना। युवा विधवा को सती होने के लिये बाध्य करना (सामाजिक हिंसा के सभी मामले) है जो समाज के सभी बड़े भाग को प्रभावित करते है। महिलाओं के प्रति अपराध की समस्या जैसे :– भारत मे महिला अपराध की प्रकृति व विस्तार किस प्रकार की महिलायें किन किन पुरूषों के अपराधों का शिकार होती है , अपराध और हिसा के दुष्कर्म करने वाले पुरूष कौन है अपराधियों को अपराध करने के लिये कहा से प्रेरणा मिलती है व इनको रोकने के कौन से उपाय संभव है। अपराध एक सार्वभौखिक समस्या है जो प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप मे विद्यमान है। यद्यपि अपराध दर मे पिछले कुछ दशकों में काफी वृद्वि हुई है। (पुरूष एंव महिला) दोनो मिलकर समाज द्वारा स्वीकृत या कानून द्वारा मान्य सामान्य व्यवहार को छोड़कर असामान्य व्यवहार क्यों करता है । इस प्रश्न का संबध अपराध के कारणों से है अपराध की प्रकृति इतनी

अधिक जटिल है कि इसके लिये कोई एक कारण उत्तरदायी नही है इसके निम्न कारण है :–

1)जैविक कारण –

2) मनोवैज्ञानिक कारण–

3) पारिवारिक कारण –

4) आर्थिक कारण

5) भौगोलिक या पर्यावरण संबधी कारण

6) सामाजिक अपराध

सरकार द्वारा किये गये उपाय :–महिलाओं के प्रति किये गये अपराधों के संबध मे तीन उपाय उल्लेखनीय है –

* शोध छात्रा, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल

भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.) के अंतर्गत महिलाओं के प्रति अपराध (1991—1995)

क	संख्या	वर्ष					पांचवर्षो का औसत	प्रतिशत
		1991	1992	1993	1994	1995		
01.	बलात्कार	9,793	11,112	11,242	12,351	13,754	11,650	13.7
02	अपहरण एंव भागना	12,300	12,077	11,837	12,998	14,063	12,655	14.9
03	दहेज मृत्यु	5,157	4,962	5,817	4,935	5,092	5,193	6.1
04	प्रताड़ना	15,949	19,750	22,064	25,946	31,127	22,967	27.0
05	शारीरिक छेड़छाड़	20,611	20,385	20,985	24,117	28,475	22,915	26.7
06	छेड़छाड़	10,283	10,751	12,009	10,496	4,756	9,659	1104
		74,093	79,037	83,954	90,843	97,267	85,039	100.0

स्त्रोत :— क्राईम इन इण्डिया 1995 : 222

1) दिसम्बर 1995 मे राज्य सभा मे एक बिल महिलाओं ने प्रति निर्दयी अपराध निरोधक विधेयक

1995 प्रस्तुत किया गया जिसमें महिलाओं के प्रति पाशविक व बर्वर अपराध करने वालों के विरूद्व मृत्यु 505 का प्रावधान किया गया। यह अपराध है बलात्कार के बाद महिला को मारपीट कर या गला घोंटकर या किसी अन्य प्रकार से उसकी हत्या करना उसकी हत्या करके उसके शव को जला देना जलाकर मारना सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या करना गर्भवती महिला का बलात्कार करना जिससे उसकी मृत्यु हो जाये आदि । अपराधों को संज्ञेय तपा गैर—जमानती घोषित किये जाये और अदालतों मे इन पर विशेष मुकदमा चलाया जायें। ऐसे अपराधों के लिये दिये गये निगरक दण्ड से महिलाओं के प्रति किये जाने वाले अत्याचार कम होगें।

2) उच्चतम न्यायालय ने 17 जनवरी 1996 को निर्णय दिया कि नियमतः बलात्कार के मुकदमों की सुनवाई बद कमरे मे होनी चाहिये ताकि पीड़ित महिला गवाह के कटघरे मे खड़ी होकर अपमानित होने से बच जायें। बंद कमरें मे मुकदमा न केवल महिला के आत्म सम्मान को बचायेगा बल्कि इससे गवाही की गुणवत्ता मे सुधार की संभावना भी बढेगी क्योंकि वह खुलकर अपना बयान देने मे इतना संकोच नही करेगें जितना कि अभी सबके सामने कहने मे डरते है। ऐसे मामलों से संबंधित किसी भी सामग्री को प्रकाशित करना विधि संग्रत नही होगा सिवाय न्यायालय की पूर्व अनुमति के यौन हमलों की सुनवाई जंहा तक संभव हो महिला न्यायधीशों द्वारा ही की जाये। और अदालत मे पीड़ित महिलाओं के नाम उल्लेख नही करना चाहिये। जिससे उस महिला को अपमान से बचाया जा सके।

3) दिल्ली मे महिलाओं के प्रति किये गये अपराध के मामलों पर मुकदमें चलायें जाने के लिये महिला न्यायालयों की स्थापना की गई है 1994 मे चार ऐसे न्यायालय स्थापित किये गये महिला न्यायालय मे वातावरण इतना आक्रामक या रोष भरा नही होता जितना अन्य न्यायालयों मे पीड़ित महिला को वकील के प्रश्नों की बौछांर का सामना करना पड़ता है। इसमें महिला न्यायालय मे महिला को जल्दी ही न्याय मिल जाता है इसके दो तर्क है1) महिला न्यायधीशों के समक्ष उस पीड़ित महिला द्वारा अपने पक्ष को निर्भिकता से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना जो पुरूष न्यायधीशों के समक्ष असमर्थ रहती है। 2) महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाना क्योंकि महिला न्यायालय केवल महिलाओं से सबंध मामलों की सुनवाई करते है इनके अलावा अन्य उपाय है जैसे — अ) मुकदमों की प्रक्रिया मे कमियों को समाप्त करना। ब) भ्रष्टाचार मिटाना स) मामलों की शीघ्र सुनवाई कर उन्हे निपटाना द) पीड़ित महिला का महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके संबधियों की उपस्थिति मे ओर बंद कमरे मे जांच द्वारा पूछतांछ करना आदि। इ) स्त्रियों के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण को बदलने मे लिये पुरूषों मे जागरूकता लाना।